

महत्व विद्युत ऊर्जा के खम्मों पर टिका है। विकसित देश ही विद्युत ऊर्जा में आत्म निर्भर हैं। यह सत्य नहीं है, बल्कि सत्यता यह है कि जो देश ऊर्जा में आत्म निर्भर हैं, आज वही विकसित हैं। मेरा विश्वास है कि स्वतंत्र भारत में ऐसा नहीं हो सका, बल्कि विद्युत ऊर्जा की मांग एवं आपूर्ति के बीच की दरार दिनों दिन बढ़ती गई। स्वतंत्रता से पूर्व ऊर्जा की मांग एवं आपूर्ति लगभग समानान्तर थी, परन्तु स्वतंत्रता के बाद मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ती रही, मगर विद्युत उत्पादन क्षमता में मांग के अनुरूप वृद्धि नहीं होने के कारण मांग एवं आपूर्ति के बीच की दरार दिनों दिन बढ़ती गई। सरकारों का उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रति उदासीन व्यवाहर ही इसके लिए जिम्मेदार है।

आज तो ऊर्जा की मांग एवं आपूर्ति का संतुलन चरमरा गया है। मांग एवं आपूर्ति की खाई ने ही देश के विकास में गतिरोध एवं समाज में भ्रष्टाचार को जन्म दिया है।

यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक अवसर, संसाधन एवं तकनीकी भरपूर उपलब्ध हैं। आवश्यकता है हमारी सरकार की मजबूत एवं स्पष्ट ऊर्जा उत्पादन की नीति एवं पक्के इरादे की। हम अपने लिए ही नहीं, वरन् अपने पड़ोसी देशों के लिए विद्युत ऊर्जा उत्पादित करके बेचने के लिए सक्षम हो सकते हैं जैसे कि बंगलादेश, नेपाल, भूटान आदि सभी विद्युत ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में पीछे हैं। मुझे याद है पिछले दस वर्षों से उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन का कोई बड़ा संयत्र नहीं लगा, जबकि मांग प्रति वर्ष लगातार बढ़ रही है। महोदय, विकास का सपना देखना विद्युत ऊर्जा के बिना बेमानी रहेगा। धन्यवाद।

Demand for Inter-basin Transfer of Water in the Country

SHRI SURYAKANTBHAI ACHARYA (Gujarat): Sir, the average annual surface water flow in our country is estimated at 1869 billion cubic meters, while the ground water potential is about 432 billion cubic meters. But, because of topographic condition, only 1122 billion cubic meters of water is utilizable.

Only 605 billion cubic meters of water is being utilized—410 billion cubic meters for irrigation, 30 billion cubic meters for domestic, 20 billion cubic meter each for industry and energy and 34 billion cubic meters for other purposes.

The average annual potential in river basin of India is 66,003 million cubic feet, out of which only 24,367 million cubic feet is utilized, while 41,637 million cubic feet is wasted and goes into the sea.

Potential of peninsular rivers is 17,720 mcf, out of which 9,083 mcf is utilised, while 8,637 Mcf is wasted into the sea. One mcf of water can irrigate 2000 hectares of normal land to 4000 hectares of fertile land which will, in turn, give two to five tonnes of agricultural produce. Out of the total unutilised water in India, 74 to 148 million hectares of land can be irrigated, which will give us a production of 148 to 814 million tonnes of paddy. Because of wasted water, we are losing, in peninsular India, something like Rs. 16,500 crores to Rs. 90,750 crores worth of foodgrains, and, in entire India, Rs. 81,400 crores to Rs. 4,50,000 crores worth of foodgrains.

Inter-basic transfer of water should be ensured to create about 200 million jobs and to produce about 450 million tonnes of foodgrains needed by 2050 A.D.

Danger to Food Security due to Import of Wheat in the Country

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश): महोदय, राष्ट्रीय खाद्य नीति को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए आज आर्थिक उदारता के नाम पर खाद्य अत्मनिर्भरता का बलिदान किया जा रहा है। गेहूं आयात का फैसला इसलिए भी अतर्कसंगत लग रहा है क्योंकि उसने कम दाम पर निजी तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश में गेहूं खरीदने की छूट दी और अब ऊंचे दाम पर गेहूं का आयात किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले ने भारत को गेहूं निर्यातक से गेहूं आयातक देश की श्रेणी में तब्दील कर दिया। पहले सरकार द्वारा 5 लाख टन गेहूं आयात करने की घोषणा हुई। फिर इसे बढ़ाकर 35 लाख टन कर दिया गया एवं संभवतः पुन इसे भी बढ़ाकर 50 लाख टन होने की संभावना है, क्योंकि गेहूं सरकारी लक्ष्य से करीब 50 लाख टन कम होने की उम्मीद है। विगत दो वर्षों से सरकार द्वारा गेहूं के दामों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी और तर्क दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अब अधिकतम समर्थन मूल्य बन गया है। जब गेहूं के भाव बढ़ने लगे तो तेजी को रोकने हेतु अन्य विकल्पों को छोड़ सरकार ने आयात का रास्ता चुना। सरकारी अदूरदर्शिता का आलम यह है कि जब आस्ट्रेलिया से आयातित गेहूं की पहली खेप चेन्नई पहुंची, उस समय आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड (एडब्ल्यूबी) देश में किसानों से सीधे गेहूं खरीद रही थी। ज्ञातव्य है कि इसी कम्पनी को सरकार द्वारा गेहूं आयात का पहला ठेका मिला था। सरकार इस विदेशी कम्पनियों को 950 रुपए प्रति किंवटल (सभी खर्च मिलाकर) की दर से भुगतान की इच्छुक है एवं उन्हीं कम्पनियों को देश में 700 रुपए प्रति किंवटल गेहूं खरीदने की इजाजत है। सारा गेहूं कहां